रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938
No. 328]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/ VAISAKHA 20, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

सा.का.नि. 494(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 26 नवंबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 908(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।।, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 30 नवंबर, 2015 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2016 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में नियम 39 ग में, उप-नियम (5) में ''चालीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर "एकल कर्मीदल वाणिज्यिक विमान प्रचालन की दशा में चालीस वर्ष और बहु-कर्मीदल वाणिज्यक विमान परिवहन प्रचालन की दशा में साठ वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा.सं. एवी.11012/144/2015-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 31 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या.सा.का.नि 399(अ), द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

G.S.R. 494(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 908(E), dated 26th November, 2015, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 30th November, 2015;

And whereas objections or suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 39C,in sub-rule (5), for the words, "forty years", the words "forty years in case of single crew commercial air transport operations and sixty years in case of multi-crew commercial air transport operations" shall be substituted.

[F.No.AV.11012/144/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide Notification number G.S.R. 399 (E), dated the 31st March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.